कद अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ
स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ बनाम अरविन्द कुमार पुत्र तोलाराम माली निवासी श्री डूँगरगढ

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 35/2020 **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.03.2021	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 1493/1119 रकबा 0.61 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी खातेदार द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अवैद्य रूप से छोटे–छोटे आवासीय भू–खण्ड बनाने एवं कृषिभूमि का अकृषि उपयोग ली गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा भूमि के संबंध में उपपंजीयक कार्यालय श्रीडूंगरगढ के समक्ष अप्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र हस्मत बहलीम पत्नी असगर बहलीम जाति व्यापारी निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ एवं इन्द्रा पत्नी भागूराम जाति जाट निवासी तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चुरू के पक्ष में दिनांक 14.08.2018 को निष्पादित करवाए गए है तथा अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग/उपभोग कृषि कार्यो के लिए नही करने पर वादगत खसरा भूमि के मौका व रिकर्ड की यथा स्थिति तादावा फैसला बनाये रखने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपनी कृषि भूमि को किसी प्रकार से अकृषि कार्य के उपयोग में नही लेना बताया है। बहस का मनन किया दस्तावेजो का अवलोकन किया वादगत खेत खसरा नम्बर 1493/1119 तादाादी 0.61 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ की कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा भूमि के संबंध में विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2018 की प्रति का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1493/1119 की भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के छोटे–छोटे भूखण्डों में विक्रय किया गया है। इससे से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व खाते की कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन के लिये नही लिया जा रहा है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। इसलिये अंतरिम निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि तादावा फैसला खेत ख.न. 1493/1119 तादादी 0.61 हैक्टर बाके रोही श्रीडूंगरगढ़ भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (दिव्या) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री...